फोन नं० 0612– 2219116(का०)
फैक्स नं०– 0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना
(आपदा प्रबंधन शाखा)

123

आदेश

बाढ़ पूर्व तैयारियों के अंतर्गत संभावित बाढ़– 2013 से प्रभावित होने वाले परिवारों को सुरक्षा एवं साहाय्य मुहैया कराने के निमित पॉलिथीन शीट्स की आपूर्त्ति करने हेतु आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म मेसर्स सनहित पोलिमर, सिटी ऑफिस, 11 पोलौक स्ट्रीट, तृतीय मंजिल, कमरा सं०–3बी/1, कोलकाता–700001, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, श्री निकेतन रोड, बोलपुर, वीरभूम (पश्चिम बंगाल)–731204 को उनके द्वारा जिला बेगुसराय से प्राप्त आपूर्ति आदेश में अंकित दर पर निम्नांकित विशिष्टियों एवं विवरणों के अनुरूप पॉलिथीन शीट्स की आपूर्त्ति का आदेश दिया जाता है :–

क्र०	आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म का विवरण	आपूर्त्ति की जाने वाली सामग्री का नाम	गुणवत्ता	आकार	मात्रा	निर्धारित दर
1	**सनहित पोलिमर** (DGS & D **निबंधन संख्या** – DGS – D/Regn/KOL/ S-3441/09/04935, **बिहार वैट** TIN No.-10083817053, PAN NO.-AAQFS 2264N)	Low density Polyethylene Black sheets of **250 micrometer**	DGS & D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का (ISI 2508/84 के अनुसार)	4x5 मीटर	5000 शीट्स	**117.51 रू०** (एक सौ सत्रह रुपये एकावन पैसे) प्रति कि०ग्रा० सभी कर, अधिभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित

2. आपूर्त्तिकर्त्ता को पॉलिथीन शीट्स की आपूर्त्ति ऊपर दिए गए विवरण के आलोक में DGS & D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।

3. आपूर्त्तिकर्त्ता को पॉलिथीन शीट्स की आपूर्त्ति के पूर्व एतद् संबंधी अपना एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।

4. आपूरित पॉलिथीन शीट्स DGS & D द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र अलग से आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।

5. आपूर्त्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्त्ति इस आदेश के निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना समाहरणालय, पटना में करनी होगी। जिसमें विफल रहने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

6. आपूर्त्ति हेतु कोई अग्रिम एवं अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

7. आपूर्ति की जानेवाली पॉलिथीन शीट्स की गुणवत्ता की जाँच अपर समाहर्त्ता, राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना, जिला लेखा पदाधिकारी, पटना, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना, अंचल अधिकारी, पटना सदर तथा उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, पटना गुणवत्ता जाँच समिति के सदस्य होगें।

आपूर्ति की गई सामग्री का वजन सत्यापन हेतु निरीक्षक, माप–तौल, पटना (अति–1), निरीक्षक, माप–तौल, पटना (अति– 2), निरीक्षक, माप–तौल, पटना सिटी (अति) तथा निरीक्षक, माप–तौल, दानापुर (अति) समिति के सदस्य होंगे।

8. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

9. आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।

ह०/–
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक–-XXII-03/13 778 /आ०प्र०, पटना, दिनांक 25/7/13

प्रतिलिपि :– मेसर्स सनहित पोलिमर, सिटी ऑफिस, 11 पोलौक स्ट्रीट, तृतीय मंजिल, कमरा सं0–3बी/1, कोलकाता–700001, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, श्री निकेतन रोड, बोलपुर, वीरभूम (पश्चिम बंगाल)–731204 को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ADG (Q.A.), O/O DGS & D, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ✓जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।